(7) (115)

न्यायालय श्रीमान म0प्र0 राजस्व मंण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा म0प्र0

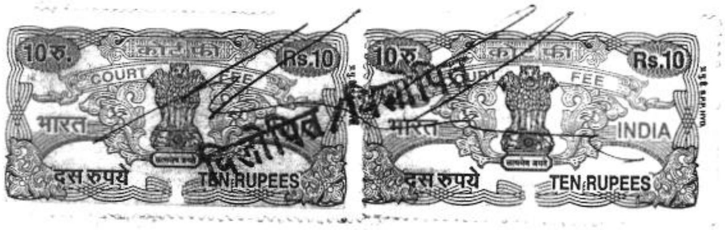

R 4185-II/12

राजेश कुमार तिवारी तनय श्री हरिबंश प्रसाद तिवारी उम्र 22साल, निवासी ग्राम करौंदहा, ग्राम पंचायत डिहिया, तहसील मनगंवा, जिला रीवा म0प्र0

———आवेदक

बनाम

1- यदुबंश प्रसाद तिवारी तनय स्व0श्री कमला प्रसाद तिवारी निवासीग्राम करौंदहा ह0द

2- हरिबंश प्रसाद तिवारी तनय स्व0श्री कमलाप्रसाद तिवारी निवासी ग्राम करौंदहा

3- श्रीमती लीलावती पत्नी श्री हीरालाल तिवारी

4- श्रीमती कलावती पत्नी श्री इन्द्रमणि प्रसाद तिवारी पुत्री स्व0श्री कमला प्रसाद तिवारी संपूर्ण निवासी ग्राम करौंदहा, तहसील मनगंवा, जिला रीवा म0प्र0

———अनावेदकगण

निगरानी बिरूद्ध आदेश तहसीलदार तहसील मनगंवा केप्र0क्र07अ6/2010-2011 मे पारित आदेश दिनांक 7-9-12 के बिरूद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता

महोदय,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य:-

आराजी नम्बर 570 रकबा0.089है. एवं आराजी नं.571रकबा 2.104है. मौजा नदना 267, प0ह0508, रा0नि0मं0बैकुन्ठपुर हाल सूरा, तहसील सिरमौर वर्तमान तहसील मनगंवा जिलारीवा म0प्र0मे स्थित भूमि थी जिसके पूर्व भूमिस्वामी आवेदक के बाबा स्व0कमला प्रसाद तिवारी थे तथा उनके मृत्यु के पश्चात उक्त भूमियां आवेदक की दादी श्रीमती राजकुमारी तिवारी को उक्त भूमियां प्राप्त हुयी। चूंकि श्रीमती राजकुमारी की

राजेश कुमार तिवारी

(7)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ--अ

क्रमांक निग0 4185– II / 2012 जिला–रीवा

राजेश कुमार तिवारी / यदुवंश प्रसाद तिवारी

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील मनगवां के प्रकरण क्रमांक 07 / अ–6 / 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 07.09.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	